

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

काल बनाना मुकुल लाल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 465/24

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
27.11.24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>काल</u></p> <p>पिता श्री <u>मोहन लाल गुजर</u></p> <p>निवासी- <u>खोरडिया (नगरी)</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>खोरडिया</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर.....</p> <p><u>1235</u>, <u>1268</u>, <u>1281</u>, <u>1281</u> <u>3146</u>, <u>3145</u>, <u>2601</u>, <u>3088</u></p> <p>कुल कीता <u>04</u>..... कुल रकबा <u>0.4700</u> है० की पत्थरगडी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>खोरडिया (प.ह. नगरी)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>1235</u>, <u>1268</u>, <u>1281</u>, <u>1281</u> <u>3146</u>, <u>3145</u>, <u>2601</u>, <u>3088</u></p> <p>कुल कीता <u>04</u>..... रकबा <u>0.4700</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगडी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगडी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>10.00</u> रूपये अक्षरे <u>रु० दस</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(सि.के.एन.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>